<u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली</u>

<u>निदेशक कार्यालय</u>

फा.सं. 40-30/2025-स्था.1 दिनांक: 31.01.2025

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: आवश्यक दवाओं तथा चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों के 'स्टॉकआउट' होने पर उसका समाधान करने हेतु सक्रिय उपाय और जेएसएसके रोगियों के लिए चिकित्सा आपूर्तियों का समय पर प्रावधान करने संबंधी।

रोगी उपचार गतिविधियों के लिए आवश्यक दवाओं तथा चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों के आवधिक रूप से स्टॉकआउट हो जाने के संबंध में कई विभागाध्यक्षों ने अधोहस्ताक्षरी से संपर्क किया है और उन्हें जेएसएसके आदि जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत आने वाले रोगियों के लिए चिकित्सा आपूर्ति की खरीद में अत्यधिक देरी के बारे में भी अवगत कराया है।

इस मामले पर विभिन्न हितधारकों के साथ समीक्षा की गई और यह पाया गया है कि उक्त स्टॉकआउट अक्सर दर अनुबंधों के निष्पादन में देरी, दर अनुबंधित विक्रेताओं की अनुसूची के अनुसार आपूर्ति करने में असमर्थता, निविदाओं के लिए खराब प्रतिक्रिया आदि के कारण होते हैं। यह भी नोट किया गया है कि वर्तमान में, आवश्यक दवा सूची के बाहर की दवाएं और उपभोग्य वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, उपचार करने वाले क्लिनिकल विभाग को प्रत्येक जेएसएसके रोगी के लिए रोगी के भर्ती होने के बाद एक अनुरोध पत्र भरना पड़ता है एवं क्योंकि अक्सर अनुरोध की गई दवाएं तथा उपभोग्य वस्तुएं 24-48 घंटों के बाद प्राप्त होती हैं अत: इस कारण रोगियों के लिए चिकित्सा उपचार आरंभ होने में देरी होती है ।

तदनुसार, सभी रोगियों के लिए दवाओं और चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों की खरीद को सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

- अस्पताल स्टोर तथा संबंधित केंद्र स्टोर आवश्यक दवा सूची में सभी दवाओं और सामान्यत: खरीदी जाने वाली चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने का प्रयास करेंगे।

- आवश्यक दवा सूची में सभी दवाएं, जिनके लिए दर अनुबंध समाप्त हो गए हैं या अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में हैं, उन्हें भी जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार नियमित रूप से खरीदा जाएगा, जिसमें अमृत/जन औषधि स्टोर भी शामिल हैं और किसी भी समय एम्स की आवश्यक दवा सूची में किसी भी दवा का स्टॉक खत्म नहीं होगा।

- दर अनुबंधित दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों के मामले में, अपेक्षित डिलीवरी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, संबंधित स्टोर द्वारा अग्रिम रूप से पुनः आदेश जारी किए जाएंगे। यदि कोई विक्रेता आदेशित औषधियों/उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति समय पर नहीं करता है, तो स्टोर उक्त ऑर्डर के बदले रिस्क परचेज़ शुरू करेंगे एवं उक्त वस्तुओं

को अमृत/जन औषधि स्टोर/एलपी विक्रेताओं से तत्काल खरीदेंगे, जबकि उक्त खरीद के लिए किए गए किसी भी अतिरिक्त खर्च का बिल उस विक्रेता को देंगे, जिसे शुरू में ऑर्डर जारी किया गया था।

- जेएसएसके रोगियों के लिए आवश्यक औषधियों की सूची के बाहर आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली औषधियों और उपभोग्य सामग्रियों की एक सूची संबंधित विभागों द्वारा अस्पताल स्टोर/केंद्र स्टोर को वार्षिक आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें अपेक्षित मासिक खपत स्पष्ट रूप से दर्शाई जाएगी। स्टोर जीएफआर के लागू प्रावधानों के अनुसार ऐसी सभी औषधियों और उपभोग्य सामग्रियों का 3-6 महीने का स्टॉक थोक में खरीदेंगे ताकि रोगियों के लिए उनकी तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ये वस्तुएं संबंधित क्लिनिकल क्षेत्रों को मासिक स्टॉकआइटम के रूप में जारी की जाएंगी और क्लिनिकल क्षेत्रों को अपने रोगीवार उपभोग रिकॉर्ड को बनाए रखना अपेक्षित होगा, जिसे अगले महीने में सामान को पुनः प्राप्त करने से पहले स्टोर को प्रस्तुत किया जाएगा। जेएसएसके रोगियों के लिए ऐसी किसी भी दवा और उपभोग्य सामग्रियों के लिए रोगीवार मांग पत्र भरने की पद्धति दिनांक 1 अप्रैल 2025 से समाप्त कर दी जाएगी।

कार्रवाई: सभी केंद्रों के प्रमुख और चिकित्सा अधीक्षक (अ)

प्रो. एम श्रीनिवास
निदेशक

वितरण: (इसे अपने नियत्रंणाधीन सभी अधिकारियों में भी परिचालित करने के अनुरोध सहित)

1. संकायाध्यक्षगण (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)
2. अपर निदेशक (प्रशासन)
3. चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)
4. सभी केंद्र-प्रमुखगण/अध्यक्ष, एनसीआई, झज्जर
5. सभी विभागाध्यक्षगण
6. वरिष्ठवित्त सलाहकार
7. प्रभारी-आचार्य, कम्प्यूटर सुविधा

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI
OFFICE OF DIRECTOR

F.No. 40-30/2025-Estt.I 31.01.2025

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Proactive measures for addressing 'stockout' of essential drugs & medical consumables & timely provision of medical supplies for JSSK patients reg.

The undersigned has been approached by many Heads of Departments regarding periodic stockout of essential drugs & medical consumables required for patient care activities and have also communicated the inordinate delay in procurement of medical supplies for patients covered under various Govt. Schemes like JSSK, etc.

The matter has been reviewed with various stakeholders and it is understood that the said stockouts are often on account of delay in execution of rate contracts, inability of rate contracted vendors to supply as per schedule, poor response to tenders, etc. It is also noted that currently, to get medicines & consumables outside the essential drug list, the treating clinical department has to fill a requisition form for every JSSK patient after the patient is admitted. This delays the initiation of medical care for such patients as often the requested medicines & consumables are received after 24 – 48 hours.

Accordingly, to streamline the procurements of drugs & medical consumables for all patients, the following decisions have been taken:

- Hospital Store & respective Centre Stores shall endeavour to maintain adequate stocks of all drugs in the essential drug list & commonly procured medical consumables, without fail.
- All drugs in the essential drug list, for which rate contracts have expired or are in the process of being finalized, shall also be regularly procured as per provisions of GFR including from AMRIT / Jan Aushadhi Store and at no point shall there be a stock out of any medicine in the essential drug list of AIIMS.
- In case of rate contracted drugs & consumables, re-orders shall be issued by respective stores, well in advance, keeping in view the expected delivery timelines. Should any vendor not supply the ordered drugs / consumables in a

timely manner, Stores shall initiate risk purchase against the said order and procure the said items immediately from AMRIT / Jan Aushadhi Store / LP Vendors, while billing any excess cost incurred for the said purchase to the vendor to whom the order was issued initially.

- A list of commonly used drugs & consumables for JSSK patients, outside the essential drug list, shall be provided by the concerned departments on an annual basis to the Hospital Store / Centre Stores with expected monthly consumption clearly delineated. Stores shall bulk purchase 3-6 months stock of all such drugs & consumables as per applicable provisions of GFR so as to ensure their immediate availability for patients. These items shall be issued to respective clinical areas as monthly stock items and the clinical areas shall be required to maintain their patient wise consumption record, which shall be furnished to the Stores before recouping the stock in the subsequent month. The practice of filling patient wise requisition forms for any such medicines & consumables for JSSK patients shall be dispensed with from 1st April 2025.

  Action: Chiefs of all Centres & Medical Superintendent (H)

31/1/2025

Prof. M Srinivas
Director

Distribution (with a request to also circulate it to all officials under their control)

1. Dean/s (Academic, Research, Examination)
2. Addl. Director (Admin)
3. Medical Superintendent (AIIMS)
4. Chiefs' of all Centres / Head, NCI Jhajjar
5. Heads' of all Departments
6. Sr. Financial Advisor
7. Prof. I/c Computer Facility